तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1–निगरानी/एलआर/235/2004/नागौर** **हदेवराम बनाम ग्राम पंचायत हिलोडी व अन्य** **2–निगरानी/एलआर/236/2004/नागौर** **हरदेवराम बनाम सीतादेवी व अन्य** **3–निगरानी/एलआर/237/2004/नागौर** **हरदेवराम बनाम शान्ति व अन्य** **4–निगरानी/एलआर/238/2004/नागौर** **हरदेवराम बनाम ग्राम पंचायत हिलोडी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सूरज भान जैमन, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री जी0एस0लखावत अभिभाषक प्रार्थी
(2) अप्रार्थी की ओर से बावजूद सूचना कोई पस्थित नही है।

निर्णय

दिनांकः 2–8–2018

उपरोक्त चारों निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–03 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानियों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 253 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा ,खसरा नम्बर 248 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 251 रकबा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। यह कि प्रार्थी को उसके दामाद द्वारा वृद्धावस्था पेंशन हेतु नागौर लेजा कर धोखें से विक्रयपत्र निष्पादित करवा कर हस्ताक्षर प्रार्थी के करवा लिये तथा खसरा संख्या 253 रकबा 20बीघा 6 बिस्वा का विक्रय सीता पत्नी पूनाराम के नाम तथा खसरा संख्या 248 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व खसरा संख्या 252 रकबा 15 बीघा भूमि का विक्रयपत्र शान्ति पत्नी हरीराम के नाम करवा लिया तथा विक्रय पत्रों की पालना में नामान्तरकरण संख्या 328 व 327 दिनांक 31–3–96 ग्राम पंचायत से तस्दीक करवा लिये। प्रार्थी ने नतो कब्जे का हस्तारण किया ना ही कोई प्रतिफल लिया। उक्त क्रेताओं द्वारा विक्रयपत्र दिनांक 10–7–96 के आधार पर सीता देवी एवं शान्ति देवी ने भंवरलाल एवं सायरी को विक्रय कर दिया तथा बाद में उक्त विक्रयपत्रों के आधार पर नामा0संख्या 336 व 337 दिनांक 6–8–96 को ग्राम पंचायत हिलोडी द्वारा तस्दीक कर दिया। प्रार्थी को उक्त नामांतरकण तस्दीक होने की जानकारी होते ही प्रार्थी ने उक्त नामा. को निरस्त कराने की अपीलें उपखण्ड अधिकरी नागौर के समक्ष पेश कीं । उक्त चारों प्रकरण मुन्तकिल होकर अतिरिक्त जिलाधीश नागौर के समक्ष सुनवायी हेतु प्रस्तुत हुए। अतिरिक्त जिलाधीश नागौर ने नामा0 संख्या 327 व 328 दिनांक 26–3–96 तथा नामा0 संख्या 336 व 337 के विरुद्ध चारो अपीलों की सुनवाई एक साथ करने के बाद अपने निर्णय दिनांक 12–2–02 के द्वारा अपीलें मियाद बाहर होने से निरस्त कर दी, जिसके विरुद्ध पृथक पृथक अपीलें अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष पेश की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1–निगरानी/एलआर/235/2004/नागौर** **हदेवराम बनाम ग्राम पंचायत हिलोडी व अन्य** **2–निगरानी/एलआर/236/2004/नागौर** **हरदेवराम बनाम सीतादेवी व अन्य** **3–निगरानी/एलआर/237/2004/नागौर** **हरदेवराम बनाम शान्ति व अन्य** **4–निगरानी/एलआर/238/2004/नागौर** **हरदेवराम बनाम ग्राम पंचायत हिलोडी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 18–10–2003 के द्वारा उक्त अपीलों को निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध उक्त चारो निगरानी अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में पेश की गयी हैं। अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं है। 3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी गयी। 4– उक्त निगरानियों की विषयवस्तु व पक्षकार समान होने से इनमें एक साथ बहस सुनी जाकर निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की एक एक प्रति सभी निगरानियों में लगाई जावे। 5– अभिभाषक प्रार्थी ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि हमने अतिरिक्त जिलाधीश एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष यह निवेदन किया था कि प्रार्थी के साथ धोखे से निष्पादित विक्रयपत्रों को निरस्त कराने हेतु दीवानी न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा राजस्व न्याालयों में भी प्रकरण विचाराधीन है इसकारण संक्षिप्त विचारण की कार्यवाही नामा0 निरस्त कर अभिलेख की पूर्व की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए लेकिन दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दु पर गौर नही कर निगरानीधीन निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि की है। उनका तर्क है कि जब अतिरिक्त जिलाधीश ने अपील को मियाद के बिन्दु पर ही निरस्त कर दिया है तो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को भी मियाद के बिन्दु पर ही निर्णय पारित करना चाहिए था इसके बाद ही अन्य बिन्दुओं पर निर्णय पारित करना था परन्तु प्रथम अपीलीय न्ययालय ने गुणावगगुण पर अवैध विवेचन करते हुए अपने में निहित शक्तियों का अवैधानिकता से प्रयोग कर जो निर्णय दिनांक 18–10–03 को पारित किया है वह निरस्तनीय है। अन्त में निगरानी स्वीकार कर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त करने का निवेदन किया। 6– हमने प्रार्थी पक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 253 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा ,खसरा नम्बर 248 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 251 रकबा 15 बिस्वा भूमि पक्षकारान के पिता की खातेदारी की भूमि है। जिसने खसरा संख्या 253 रकबा 20बीघा 6 बिस्वा का विक्रय सीता पत्नी पूनाराम के नाम तथा खसरा संख्या 248 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा खसरा नंबर 248 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व खसरा संख्या 252 रकबा 15 बीघा भूमि का विक्रयपत्र शान्ति पत्नी हरीराम जो कि हरदेव राम की पुत्रियॉ है के पक्ष में कर दिया तथा विक्रय पत्रों की पालना में नामान्तरकरण संख्या 327 व 328 दिनांक 31–3–96	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1–निगरानी/एलआर/235/2004/नागौर** **हदेवराम बनाम ग्राम पंचायत हिलोडी व अन्य** **2–निगरानी/एलआर/236/2004/नागौर** **हरदेवराम बनाम सीतादेवी व अन्य** **3–निगरानी/एलआर/237/2004/नागौर** **हरदेवराम बनाम शान्ति व अन्य** **4–निगरानी/एलआर/238/2004/नागौर** **हरदेवराम बनाम ग्राम पंचायत हिलोडी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को ग्राम पंचायत हिलोडी द्वारा तस्दीक किये गये है। उक्त क्रेताओं द्वारा विक्रयपत्र दिनांक 10–7–96 व 11–7–96 के आधार पर भंवरलाल एवं सायरी को विक्रय कर दिया तथा बाद में उक्त विक्रयपत्रों के आधार पर नामा0 संख्या 336 व 337 दिनांक 6–8–96 ग्राम पंचायत हिलोडी द्वारा तस्दीक कर दिये। हरदेव राम द्वारा अपनी पुत्रियों के पक्ष में किये गये रजि0क्रिय पत्र दिनांक 25/26–3–96 के आधार पर उक्त नामा0 स्वीकृत किये गये है। रजि0विक्रय पत्रों में यह उल्लेख है कि खातेदारी बेचान रुपये 125000/: एव 162400/: में सीता एवं शान्ति को करके कब्जा क्रेता को सोप दिया है तथा राशि प्राप्त करली है। लेकिन हरदेवराम ने उक्त विक्रयपत्र धोखे से कराना व विक्रय पत्रों के आधार पर खोले गये नामा0 को गलत बता कर एवं उक्त नामा0 को निरस्त कराने हेतु अपील अपर जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं जिसने अपीलों को खारिज किया है। चूँकि राजस्थान भू राजस्व लैण्ड रिकार्डस नियम 1957 के नियम 133 (ग) के अनुसार पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर जिसमें स्वयं बेचानकर्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया हो कि वादग्रस्त वादग्रस्त आराजी का कब्जा क्रेता को दे दिया है तो ऐसी सूरत में नामा0तस्दीक करते समय तहकीकात करने की आवश्यकता नही होती है क्योकि यह तथ्य तो पंजीकृत विक्रयपत्र में बेचानकर्ता स्वयं द्वारा लिखकर उस पर हस्ताक्षर कर दिये जाते है। जब दोनो नामा0 327 व 328 स्वीकृत किये गये उस दिन या उससे पूर्व विक्रेता हरदेवराम ने नामा0तस्दीक नही करने का आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नही किया था। जब दोनो नामा0 दिनांक 31–3–96 को स्वीकृत हो चुके थे के बाद दिनांक 11–7–97 को रिब्यू आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में पेश कियें और ग्राम पंचायत ने दिनांक 8–8–97 को हरदेवराम का रिब्यू आवेदन पत्र स्वीकृत कर पूर्व आदेश दिनांक 31–3–96 को निरस्त कर दिया। हरदेवराम ने दूसरी ओर दिनांक 14–7–97 को उक्त नामा0 संख्या 327 व 328 के स्वीकृति आदेश 31–3–96 के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी नागौर के समक्ष अपील पेश करदी। चूँकि एक ही आदेश के विरुद्ध रिब्यू एवं अपील की कार्यवाही एक साथ नही चल सकती थी। ग्राम पंचायत को नामा0स्वीकृत करने के बाद उस आदेश का रिव्यू पेश करने का अधिकार नही है। चूकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के तहत केवल निर्विवाद प्रकृति के नामा0स्वीकृत करने की शक्तियॉ ग्राम पंचायत को है। 7– श्रीमति सीता एवं शांति ने अपने पिता से भूमि क्रय की है उक्त आराजी को दिनांक 9–7–96 व 11–7–96 को श्री भंवरलाल व श्रीमति सायरी को विक्रय किया है। उक्त विक्रय पत्रो के आधार पर नामा0संख्या 336 व337 स्वीकृत किये गये है। उक्त चारो नामा. के विरुद्ध चार अलग अलग अपीलें हरदेवराम द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–3–96 व 6–8–96 की प्रथम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1–निगरानी/एलआर/235/2004/नागौर** **हदेवराम बनाम ग्राम पंचायत हिलोडी व अन्य** **2–निगरानी/एलआर/236/2004/नागौर** **हरदेवराम बनाम सीतादेवी व अन्य** **3–निगरानी/एलआर/237/2004/नागौर** **हरदेवराम बनाम शान्ति व अन्य** **4–निगरानी/एलआर/238/2004/नागौर** **हरदेवराम बनाम ग्राम पंचायत हिलोडी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जानकारी दिनांक 11–7–97 को होने का कथन किया है जबकि अपरजिला न्यायाधीश नागौर के समक्ष प्रस्तुत सिविल वाद में आदेश दिनांक 31–3–96 की प्रथम जानकारी 2–7–96 को तथा दिनांक 6–8–96 के आदेश की जानकारी 22–1–97 को ही सिविल वाद पेश करने के दिन एवं इससे पूर्व ही हो चुकी थी। इस प्रकार हरदेवराम ने आदेशों की प्रथम जानकारी की तिथि का तथ्य छुपा कर मिथ्या शपथपत्र पेश किये है। इस प्रकार अपर जिला कलक्टर के समक्ष जो चारों अपीलें पेश की गयी है वे मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियादअधिनियम में उक्त अपीलों में हुई देरी के कोई समुचित कारण भी दर्शित नही किये है। 8– उपरोक्त विक्रय पत्रों के आधार पर स्वीकृत किये गये चारो नामान्तरकरणों की अपीलें स्वीकार कर उक्त नामा0 निरस्त करने के लिए पक्षकरान के मध्य विवाद विद्धमान है। हरदेवराम ने अपनी पुत्रियों के पक्ष में विक्रय कराया है वह उन्हे फर्जी बता रहा है ऐसीस्थिति में किसी पंजीकृत विक्रयपत्र को जब तक सक्षम दिवानी न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिया जाता है तब तक उसके वैध होने की उपधारणा की जायेगी । वैध विक्रय पत्र के आधार पर जो नामा0 खोले जाते है वे वैध ही माने जावेगे। चूँकि नामा0की कार्यवाही एक सरसरी एवं जॉच पडताल की कार्यवाही है। नामा0 की कार्यवाही में किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में स्वत्व एवं अधिकारों के निर्धारण के लिए पक्षकारों के बीच सक्षम न्यायालयों में राजस्व वाद एवं सिविल वाद विचाराधीन है, जिनका अभी निस्तारण होना है। 9– विद्वान अपर जिला कलक्टर, नागौर ने दिनांक 12–2–02 को जो विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया है वह कानून सम्मत है। जिसकी अपीलें विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त , अजमेर के समक्ष प्रस्तुत होने पर उन्होने भी अपना विस्तृत विवेचन कर उक्त अपीलों को खारिज कर अपर जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–2–02 को यथावत रख कर कोई कानूनी त्रुटि नही की है । फलस्वरुप उपरोक्त चारों निगरानियॉ सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते है। 10–अतः उपरोक्त चारों निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–10–03 एवं अपर जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–2–2002 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्र हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सूरज भान जैमन) सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **1–निगरानी/एलआर/235/2004/नागौर** **हदेवराम बनाम ग्राम पंचायत हिलोडी व अन्य** **2–निगरानी/एलआर/236/2004/नागौर** **हरदेवराम बनाम सीतादेवी व अन्य** **3–निगरानी/एलआर/237/2004/नागौर** **हरदेवराम बनाम शान्ति व अन्य** **4–निगरानी/एलआर/238/2004/नागौर** **हरदेवराम बनाम ग्राम पंचायत हिलोडी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए